Seventeenth Loksabha

>

Title: Request to stop the caste verification for the Marathi Language person in Maharastra.

श्री राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : सभापति महोदय, मैं शून्य काल में एक महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित महाराष्ट्र राज्य में केवल मराठी भाषी लोगों के लिए कास्ट वैरीफिकेशन, कास्ट वैलिडिटी की अनिवार्यता की हुई है । महोदय, बीएआरसी (भाभा एटोमिक रिसर्च सेंटर) मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है । डिपार्टमेंट ऑफ एटोमिक एनर्जी ने 8 अक्टूबर, 2020 को एक सर्कुलर जारी कर महाराष्ट्र में मराठी भाषी लोगों को कास्ट वैरीफिकेशन करने के लिए बाध्य किया है । नोटिस में कहा गया है कि वर्ष 2001 के महाराष्ट्र अधिनियम संख्या 23 के नियम संख्या 2 के अनुसार कास्ट वैरीफिकेशन समय पर जमा न करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी । कास्ट वैरीफिकेशन अधिनियम 2001, अधिनियम 2000 ई के अनुसार सरकार का उल्लेख महाराष्ट्र सरकार है । यह अधिनियम महाराष्ट्र सरकार के आरक्षित पदों के लिए केन्द्र सरकार पर लागू नहीं है ।

महोदय, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, पुणे का एक परिपत्र दिनांक 17.12.2021 के अनुसार यह सर्कुलर नियम के विरुद्ध है । लेकिन यह बहुत दुख की बात है कि डीएई मराठी भाषी कर्मचारियों को कास्ट वैरीफिकेशन करने के लिए मजबूर कर रहा है, ताकि उपरोक्त धाराओं की गलत व्याख्या कर जान-बूझकर उन्हें परेशान किया जा सके । महाराष्ट्र सरकार का जो कास्ट वैरीफिकेशन लैटर है, वह केन्द्रीय प्रतिष्ठानों में रोजगार के लिए पर्याप्त है, क्योंकि उन्हें राज्यों के कर्मचारियों को केवल कास्ट सर्टिफिकेट से नियोजित किया जाता है और उनका कास्ट वैरीफिकेशन नहीं होता है । ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : अभी बहुत लम्बी लिस्ट है ।

श्री राहुल रमेश शेवाले: महोदय, बीएआरसी ने उन मराठी कर्मचारियों को नोटिस दिया है, जिन्होंने 35 से 40 साल तक सेवा की है । नोटिस में कास्ट वैलिडिटी के एक्ट नियम

संख्या 4(2) के संदर्भ में एक माहौल पैदा किया है और 500 से अधिक मराठी कर्मचारियों के पेंशन … (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री नायब सिंह सैनी । आप एक मिनट में अपनी बात पूरी कीजिए ।